श्री राम कंवर बेरवा : अध्यक्ष महोदय, एक से अधिक पदों के लिए जो पहले फीस जमा करायी गयी थी और जिनसे फीस जमा करायी गयी थी उनको एक बार ही परीक्षा मे बिठाया गया, उनकी फीस का क्या हुआ ? मंत्री महोदय ने यह कहा है कि हम आगे के लिए यह कर रहे है कि एक से अधिक परीक्षाओ के लिए ड्योढ़ी फीस जमा करायेगे । इस से तो आपने और भी कठिनाई पैदा कर दी है, उन लोगों के लिए । इस पद्धति से क्या उन अफसरों के लिए जो इन्टरव्यू या परीक्षा लेने वाले है, भ्रष्टाचार करने की और भी बडी गुंजाइश पैदा नहीं होती है ? क्या मंत्री जी यह आश्वासन देंगे कि वे कोई ऐसी प्रक्रिया अपनायगे ताकि उनको किसी प्रकार का भी भ्रष्टाचार करने का मौका न मिले और योग्य व्यक्ति ही चुन कर आगे आ सके ?

श्री जुल्फिकार उल्लाह : जैसा कि मैंने बताया है कि यह तय कर लिया गया है कि अगर कोई केण्डीडेट एक से ज्यादा पोस्टो के लिए अपने को कंसीडर कराना चाहे तो उससे डेढ़ गुणी फीस ली जाए । एक पोस्ट के लिए फीस बीस रुपये है । जो अपने को एक से अधिक पोस्टो के लिए कंसीडर कराना चाहता है उससे तीस रुपये लिये जायेंगे । फिर वह अपने को एक के बजाय चार पोस्टो के लिए भी कंसीडर करा सकता है ।

श्री मुख्तियार सिंह मलिक : अध्यक्ष महोदय, क्या इनके सप्लीमेंट्री का यह जवाब है ? (व्यवधान) ।

श्री राम कंवर बेरवा : अध्यक्ष महोदय, मैंने मंत्री महोदय से यह बात पूछी थी कि आपने 11-12 फरवरी को परीक्षा ली है और उस के लिए आपने तीन-तीन और चार-चार पदो के लिए केण्डीडेट्स से फीस जमा करायी है । उस फीस का क्या हुआ ? यह तो आप आगे के लिए कानून बनाने जा रहे है । जो आपने पहले फीस जमा करायी है, उसका क्या हुआ है ? उसकी एक ही लिखित परीक्षा हुई है ।

श्री जुल्फिकार उल्लाह : पहले कल यह बताया था कि अगर एक पोस्ट से ज्यादा पोस्ट्स के लिए कोई एप्लाई करेगा तो उससे उतनी ही फीस ली जाएगी, जितनी पोस्ट्स के लिए एप्लाई करेगा उतनी पोस्ट्स की जो फीस है वह ली जाएगी । जब यह मालूम हुआ कि यह ठीक नही है तो उसको बदल दिया गया । माननीय सदस्य ने जो सजेशन दी है । उस पर गौर किया जा सकता है ।

श्री राम कंवर बेरवा : जिन लोगों से तीन चार पदों के लिए अलग अलग फीस जमा कराई है उन को आप उन परीक्षाओं में बिठायेंगे या नही बिठायेंगे ।

श्री जुल्फिकार उल्लाह : जिन्होंने चार पोस्ट्स के लिए एप्लाई किया उनको चार पोस्ट्स के लिए कंसिडर किया गया । रिटन टैस्ट एक था इन्टरव्यूज चारो पोस्ट्स के लिए अलग अलग थी ।

MR. SPEAKER: He said the fee was fixed under the old rule. Now, the rule is going to be changed.

SHRI AHSAN JAFRI: He has not replied as to how many interviews have taken place.

MR. SPEAKER: He said four interviews have taken place Mr. Venkatasubbaiah.

SHRI P. VENKATASUBBAIAH: May I know from the hon. Minister as to how many posts small or big, under each category have been advertised and how many people had applied for that and what was the fee collected from all these people?

MR. SPEAKER: He will not be able to answer that.

SHRI ZULFIQUARULLAH: I require notice. But I can tell the hon. Member that 90,000 sat for the examination in Delhi.

श्री धर्मवीर राष्ट्रीयकरण भ्रष्टाचार की जड है । ब्यूरोक्रेसी का वहा बोलबाला होता है । क्या बैंकिंग में विकेन्द्रीकरण नही होना चाहिये ? एक ही केन्द्र दिल्ली मे परीक्षा ली जाती है । क्या दूर देहात का या दूर के प्रान्तो का व्यक्ति यहां परीक्षा देने आ सकता है ? क्या इसका आप विकेन्द्रीकरण करेंगे ।

MR. SPEAKER: That question does not arise.

MR. SPEAKER: Q. No. 456. Shri O. V. Alagesan He is no there. Q. No. 457.

Development Fund for Tea Industry

*457. SHRI M. V. CHANDRASHEKHARA MURTHY: Will the Minister of COMMERCE, CIVIL SUPPLIES AND COOPERATION be pleased to state:

(a) whether creation of a development fund for the tea industry with

the setting up of a Tea Finance Corporation are some of the measures suggested by the Tandon Committee Report submitted to the Centre,

(b) whether Government have examined all the recommendations of the Tandon Committee, and

(c) when the final decision on the same is likely to be taken?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF COMMERCE, CIVIL SUPPLIES AND COOPERATION (SHRI KRISHNA KUMAR GOYAL): (a) The Tandon Committee, has, *inter alia*, recommended that a new Tea Finance Body could be set up comprising the Tea Board, financial institutions and the tea industry under the administrative control of the Ministry of Commerce

(b) and (c). The recommendations of the Tandon Committee are currently under examination in consultation with the Tea Board. Decision on the recommendations will be taken as early as possible

SHRI M V CHANDRASHEKHARA MURTHY Mr. Speaker, Sir, I want to know from the hon Minister whether Government has proposed to abolish the excise duty and other levies on the packet tea so that they can give to consumers the freedom of choice in selecting the tea.

SHRI KRISHNA KUMAR GOYAL: The matter regarding abolition of excise duty is under the active consideration of the Government.

SHRI M. V. CHANDRASHEKHARA MURTHY: Is there any proposal to increase the rate of replantation subsidy for the tea gardens? If so, how much?

THE MINISTER OF COMMERCE, CIVIL SUPPLIES AND COOPERATION (SHRI MOHAN DHARIA): This matter is also under consideration. In view of the report of the Tandon Committee and also in view of the fact that the prices have gone up, how we shall be more competitive in the international market, how we can have better yield and how we can have better acreage—all these factors—are under consideration and a massive programme is also being thought of

श्री हुकम चन्द कछवाय अध्यक्ष महोदय, मै यह जानना चाहता हू कि क्या यह बात सही है कि अनुसधान के माध्यम से चाय के अच्छी प्रकार के जो पौधे तैयार किये जा रहे हैं उसका लाभ सभी चाय बागानो को नही मिल रहा है। यह भी मूल कारण है जिसके कारण घटिया किस्म की चाय होती है और चाय के पुराने पेड़ है?

दूसरे यह कि भारत की चाय जो विदेशों में बिकती है अन्य देशो के लोग भारत की चाय मे मिलावट कर के बड़े पैमाने पर बेच रहे है जिसस दाम कम आता है और भारत की चाय की बदनामी होती है। इसमें सुधार करने की कोई योजना है? आपने विकास के लिए जो पैसा रखा है, म जानना चाहता हू कि वह कितना पैसा रखा है और किन किन मदो पर खर्च किया जा रहा है?

श्री कृष्ण कुमार गोयल : श्रीमन् जहा तक माननीय सदस्य का यह कहना है कि अनुसधान के अन्दर जो पौधे नये किस्म के चाय के तैयार किये जा रहे हैं उनका लाभ सब को न मिल कर के कुछ लोगो को ही मिल रहा है, मैं समझता हू कि यह सूचना माननीय सदस्य की गलत है। अगर कोई स्पेसिफिक तथ्य उनके सामने है तो उसके सम्बन्ध में जानकारी दे दी जायगी।

जहा तक उत्पादन का सवाल है, चाय के विकास का सवाल है लगातार देश की मांग का देखते हुए और विदेशो के अन्दर इसका निर्यात बढ़ाया जाय, इन दोनो दृष्टिकोणो को सामने रख कर के इसके प्रसार को बढ़ाया जा रहा है, और वह क्षेत्र जिनमें चाय नही होती थी उन क्षेत्रो को भी चाय के उत्पादन के अधीन लाया जा रहा है।

श्री हुकम चन्द कछवाय : आपने मेरे इस सवाल का जवाब नही दिया कि विदेशो मे भारत की चाय मे मिला कर के बेचते है जिससे भारत की बदनामी होती है।

MR SPEAKER You have put the question and he has answered the question.

श्री मोहन धारिया अध्यक्ष जी, यह बात सही है कि भारत की चाय ले कर उसमें दूसरी चाय मिलाते हैं। इसलिये हमने एक अच्छा कदम उठाया है कि ज्यादा से ज्यादा यही पैकिंग हो। और हमारा इस साल का एक्सपोर्ट पैकेज टी का

60 करोड़ का है जो कि गये साल 40 करोड़ का था ।

श्री लालजी भाई : मैं जानना चाहता हूं कि पिछले दो सालों में वर्षवार चाय का कितना कितना निर्यात किया गया और वह लक्ष्य के अनुसार हुआ, और कौन कौन से देशों को निर्यात किया गया ?

श्री कृष्ण कुमार गोयल : अध्यक्ष महोदय, जहां तक इस प्रश्न का सवाल है टन्डन कमेटी से, इसके सम्बन्ध में ऐक्सपोर्ट के बारे में कई बार जानकारी दी जा चुकी है । यदि माननीय सदस्य इस बारे में विशेष रूप से पूछना चाहते हैं कि अलग से प्रश्न दें ।

Demands of Staff of Security Paper Mill, Hoshangabad

*459. SHRI HARI VISHNU KAMATH: Will the DEPUTY PRIME MINISTER AND MINISTER OF FINANCE be pleased to refer to the reply given to Unstarred Question No. 2878 on 8th December, 1978 regarding demands of staff of Security Paper Mill, Hoshangabad and state:

(a) whether the General Manager, Security Paper Mill, Hoshangabad has completed his examination of the demands of the Security Paper Mill Staff Union and submitted to Government his comments thereon; and

(b) if so, whether Government will lay on the Table a statement containing a substantial gist thereof?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF FINANCE (SHRI ZULFIQUARULLAH): (a) and (b). The demands of the Security Paper Mill Staff Union have been considered taking into account the comments of the General Manager and the decision taken on them is indicated in the statement laid on the table of the House.

Statement

Demands of the S P.M. Staff Union	Decision of the Government
1. Study by an Expert Body of the Staff requirements of the Security Paper Mill, Hoshangabad.	Such a study was last undertaken by the Staff Inspection Unit as late as 1974. The Mill is undergoing a major modernisation/expansion programme. Fresh study of the Staff requirements will be undertaken after the implementation of this programme.
2 Recognition of the Staff Union . . .	The Staff Union is a category-wise Union of operation supervisors only. The SPM Employees Union, already recognised by the management of the SPM, represents the industrial workers as well as the classified staff. The SPM Staff Union seeks to to represent only the Group 'C' classified staff and has 115 members only, whereas the total strength of the Security Paper Mill is over 1300. There is no justification for granting recognition to the SPM Staff Union.
3. Reduction of working hours . . .	A paper mill has to work continuously all the 24 hours in three shifts of 8 hour each. The Group Incentive Scheme was modified in August 1973 taking into account the fact that 44 hours week cannot be sanctioned for the Security Paper Mill. The installed capacity of the Security